

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/138/2024

दिनांक- 09/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 138 / 2024 अनवान गोपाल पुत्र ताराचंद महाजन निवासी देवली, बनवारी लाल पुत्र ताराचंद महाजन निवासी देवली, राधेश्याम पुत्र ताराचंद महाजन निवासी देवली, मंजू मंगल पत्नी हरिराम महाजन निवासी देवली, आयुष मंगल पुत्र हरिराम महाजन निवासी देवली, आकाक्षा मंगल पुत्र हरिराम महाजन निवासी देवली बनाम नोरतमल पुत्र घनश्याम तेली निवासी देवली, मसूर अली पुत्र मोहम्मद युसूफ मुसलमान निवासी देवली, प्रेम शेटी पत्नी सांवलसिंह शेटी बिलोची निवासी देवली, अविनाश पुत्र बालूलाल तेली निवासी देवली, नंदकिशोर पुत्र घनश्याम तेली निवासी देवली, मनीष पुत्र बाबूलाल तेली निवासी देवली, रजनीश पुत्र बाबूलाल तेली निवासी देवली, सीता पत्नी बाबूलाल तेली निवासी देवली, धनिया पत्नी नन्दा घोसी निवासी देवली, नाथी पुत्री नन्दा घोसी निवासी देवली, पुनिया पुत्री नन्दा घोसी निवासी देवली, मदन लाल पुत्र नन्दा घोसी निवासी देवली, सुशीला पुत्री नन्दा घोसी निवासी देवली, कमल कुमार पुत्र नेमीचंद महाजन निवासी देवली, सोजीराम पुत्र सूरजमल मीणा निवासी बारला, जमील अहमद पुत्र छोटू खा मुसलमान निवासी देवली, रफीक अहमद पुत्र रमजान मुसलमान निवासी देवली, सुगन पुत्र फैज मोहम्मद मुसलमान निवासी देवली, मांगीलाल पुत्र नंदलाल ब्राह्मण निवासी पुजारी गंगागोरिया बालाजी देवली, धरु पुत्र नंदलाल ब्राह्मण निवासी पुजारी गंगागोरिया बालाजी देवली, यतेंद्र उर्फ कालु पुत्र निरंजन शर्मा निवासी पुजारी गंगागोरिया बालाजी देवली, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम अंबेडकर कॉलोनी प.ह. ऊंचा आराजी सं. 935, 936, 937, 938, 964, 965, कुल कित्ता 06 रकबा 1.7322 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

गोपाल पुत्र ताराचंद महाजन निवासी देवली वगैरह

बनाम

नोरतमल पुत्र घनश्याम तेली निवासी देवली वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 138/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म के तामील में जारी हुए
09-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम अंबेडकर कॉलोनी प.ह. ऊंचा आराजी सं. 935, 936, 937, 938, 964, 965, कुल किता 06 रकबा 1.7322 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम अंबेडकर कॉलोनी प.ह. ऊंचा आराजी सं. 935, 936, 937, 938, 964, 965, कुल किता 06 रकबा 1.7322 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)